न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/279/2016

उनवान

1. रामेश्वर लाला आत्मज हेमा गुजर निवासी साकरिया खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्रीमती लाडू देवी पुत्री हेमा गुजर पत्नि जमना लाल गुजर निवासी दादा बाडी, बालाजी के पास, पुराना भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
3. श्रीमती भोली पुत्री हेमा गुजर पत्नि जमना लाल गजर निवासी आटूण, तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. पन्ना लाल आत्म्ज हेमा गुजर निवासी साकरिया खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
2. सहकारी भूमि विकास बैंक, भीलवाडा, शाखा सुवाणा, जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण
संख्या 114/2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.6.2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री बी एल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री विनोद राव ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 6.01.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीएवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की पुश्तैनी आराजियात ग्राम

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

साकरिया खेडा पटवार हल्का सिदडियास भू अभिलेख निरीक्षक भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा में खाता संख्या नया 53 पुराना 48 जिसका विवरण निम्न प्रकार है :' आराजी नम्बर 47 रकबा 1.07 बीघा, आराजी नम्बर 48 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 70 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 200 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 201 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 206 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 207 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 333 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 358 रकबा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 359 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 762 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 784 रकबा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 785 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 786 रकबा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 793 रकबा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 796 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 800 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 810 रकबा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 921/200 रकबा 12 बिस्वा, कुल किता 19 कुल रकबा 30 बीघा । उक्त समस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादीसंख्या 1 लगायत 3 के दादा धुकल गुजर के जमाने की होकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

धुकल (मुख्य पुरूष)

हजारी → नारायण → गुमानी(लाऔलाद फौत)

हेमा → पन्नालाल वादी, रामेश्वर प्रतिसं.1, लाडू पुत्री, भोली पुत्री

धुकल जी के जमाने से ही वादी वादग्रस्त आराजियात चली आ रही हि तथा धुकल जी के देहान्त के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★ सत्यमेव जयते

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

बाद उक्त आराजी उनके दोनों पुत्र हजारी व हेमा को 1/2, 1/2 के रूप में मिली । हजारी के एक पुत्र नारायण व हेमा के दो पुत्र वादी पन्ना लाल व रामेश्वर व पुत्री लादू व भोली पैदा हुई तथा नारायण की मृत्यु हो चुकी है तथा नारायण की पत्नी गुमानी की भी डेढ वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है तथा नारायण ला औलाद फौत हो चुका है और उक्त आराजी वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

2. नारायण वादी के बडे पिता का लडका होकर भाई है और उसके कोई औलाद नहीं है तथा पत्नी गुमानी की भी मृत्यु हो चुकी है और उक्त आराजी में 1/2 हक हिस्से में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है तथा 1/2 हक हिस्सा नारायण की पत्नी गुमानी के नाम पर दर्ज है और वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 गुमानी के उत्तराधिकारी होकर के वारिस है और नारायण व वादी व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य होने से गुमानी की मृत्यु के पश्चात उक्त सम्पूर्ण आराजियात पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कब्जा होकर उपयोग उपभोग कर काश्त कर रहे हैं। उक्त गुमानी की मृत्यु होने के पश्चात उक्त आराजी का नामान्तरकरण खुलवाये जाने बाबत वादी ने पटवार हल्का से निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उक्त आराजी का नामान्तरकरण अपने अकेले के नाम पर खुलवाना चाहते हैं और वादी के नाम पर नहीं खुलवाने देना चाहते हैं। जबकि उक्त आराजी में गुमानी के हक हिस्से में वादी का व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का बराबर हक व हिस्सा है और एक ही परिवा के होने से वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है, उक्त आराजी पुश्तैनी है जो सामलाती हक व अधिकार की है। जिसमे गुमानी के हक हिस्से का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को खातेदार काश्तकार घोषित

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

किया जावे। अतः वादी को वादग्रस्त आराजी में गुमानी के हक हिस्से को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त सम्पूर्ण आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा घोषित किया जावे तथा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजियात में वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें किसी प्रकार की रूकावट व बाधा उत्पन्न नहीं करें।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई है। दिनांक 8.8.2013 को प्रतिवादी/अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रतिवादीगण रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के सम्मन विधिवत तामील नहीं होने के कारण उनके सम्मन पुनः जारी होने के आदेश पारित किये गये तभी से यह प्रकरण प्रतिवादीगण/रेस्पोडेण्ट्स 2, 3 की तामील में चल रहा था। उसके बाद प्रतिवादी अपीलाण्ट की ओर से प्रकरण में अधिवक्ता भोपाल लाल गुर्जर का अधिकार पत्र पेश किया गया । प्रकरण में अंतिम पेशी दिनांक 25.4.2016 की नियत थी। उसके बाद प्रकरण को दिनांक 4.6.2016 को राजस्व

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कैम्प में सुनवाई के लिए रखा गया । उस दिन प्रतिवादी अपीलाण्ट की ओर से जवाब पेश किया गया । प्रतिवादी अपीलाण्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर दोनों पक्षकारों की साक्ष्य ली जाकर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिये था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा न कर बिना किसी आधार के वादिया/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के वाद को स्वीकार कर उसे वादग्रस्त आराजियात में 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित करने में भारी भूल की है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मामले में प्रकरण में अंतिम पेशी दिनांक 25.4.2016 की नियत थी। दिनांक 25.4.2016 को प्रकरण में आगामी तारीख पेशी नहीं दी गई तथा वादी अपीलाण्ट व उसके अधिवक्ता को कहा गया कि प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 4.6.2016 को राजस्व कैम्प सिदडियास में रखा जायेगा । दिनांक 4.6.2016 अपीलाण्ट व उसके अधिवक्ता राजस्व कैम्प में उपस्थित हुए एवं अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजी में गुमानी ने अपने हक हिस्से की आराजियात का हक त्याग दिनांक 2.12.2004 को प्रतिवादी/अपीलाण्ट संख्या 1 के पक्ष में कर दिया व कब्जा काश्त भी अपीलाण्ट/प्रतिवादी का है इस कारण प्रकरण का निस्तारण राजस्व कैम्प में नहीं हो सकता है। इस पर अपीलाण्ट व उसके अधिवक्ता को कहा गया कि प्रकरण का निर्णय कैम्प में नहीं होगा तथा प्रकरण में आगामी पेशी न्यायालय से प्राप्त कर लेवें । इसके बाद पीछे से गुपचुप तरीके से राजस्व कैम्पों में प्रकरणों का निस्तारण बताने की गरज से वादी से मिलाभगती कर अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद डिक्री कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रकरण में जवाब दावा आने पर विधिक प्रकिया अनुसार तनकियात कायम की जानी चाहिये थी तथा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात, का अवलोकन कर तनकीवाईज निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अपीलाधीन प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जावे।

8. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि धुकल जी के दो पुत्र हजारी व हेमा थे। हेमा के पुत्र पन्ना लाल वादी रामेश्वर प्रतिवादी संख्या 1 लाडू पुत्री व भोली पुत्री है। हजारी के पुत्र नारायण थे जिनकी लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है नारायण जी की पत्नि गुमानी की भी मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में हेमा के वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य समान रूप से हक हिस्सा निहित होता है। चूंकि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त पुश्तैनी आराजियात में 1/4 हक हिस्सा होने का कथन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 31.5.2013 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षीगण को सम्मन जारी किये गये। दिनांक 8.8.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अण्डरटेंकिंग प्रस्तुत की। प्रतिवादी संख्या व 3 के सम्मन

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रस्तुत कर हस्ताक्षरित कराया गया है एवं न ही इस जवाब दावे बाबत कोई आदेशिका ही अंकित की गई है। जबकि अपीलाधीन प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2व 3 के सम्मन जारी किये जाने के निर्देश के उपरान्त तामील होने संबंधी बाद तामील सम्मन पुनः पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है। प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में उभयपक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजीनामा होने की स्थिति में ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना प्रस्तावित होता है। अपीलाधीन प्रकरण में प्रतिवादीगण की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का कोई अंकन नहीं किया गया है।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सहकारी भूमि विकास बैंक, लिमिटेड, भीलवाडा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 20.3.2013 को हस्ताक्षरित किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न किया गया है। उसके उपरान्त भी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार सहकारी भूमि विकास बैंक, भीलवाडा को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। जबकि वादग्रस्त आराजी का जुज भाग सहकारी विकास बैंक, भीलवाडा के यहॉ रहन रखा गया था। इस तथ्य की जानकारी पत्रावली पर सहकारी भूमि विकास बैंक, लि0 भीलवाडा द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र से हो चुकी थी। ऐसी स्थिति मे बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को ध्यान में रखा जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। चूंकि मूल वाद में उभयपक्ष के हक हितों का बाद साक्ष्य, सुनवाई अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न किया गया है। जबकि इसके आधार पर कोई तनकियात कायम नहीं की गई एवं न ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकारान को अपनी ओर से साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

गया है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2व 3 के नोटिस जारी किये गये थे उसके उपरान्त प्रतिवादी संख्या 2 व 3 पर नोटिस की तामील हुई या नहीं इस बारे में कोई अंकन नहीं किया गया । अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना के तहत विधिक प्रकिया अपना कर नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

12. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 4.6.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जवाब दावे के उपरान्त तनकियात कायम की जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाने के उपरान्त में गुणागुवण के आधार पर तनकीवाईज निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27/1/20 को उपस्थित रहे।

13. निर्णय आज दिनांक 6.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा